

## हरियाणा पुराने वाहनों का नपिटान और पुनर्रचकरण करेगा

### चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों के उचित नपिटान और पुनर्रचकरण को सुनिश्चित करने तथा **प्रदूषण** को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये **वाहन सक्रैपेज और पुनर्रचकरण सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024** को अधिसूचित किया है।

### मुख्य बंदि

- **नर्रिणय: परचिय**
  - उल्लेखनीय है कि **राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT)** ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्तर (NCR) में डीजल वाहनों के लिये 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिये 15 वर्ष की सीमा नर्रिधारति की है।
  - इस वनियिमत के कारण **नर्रिपरयोज्य वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई**, जिसके कारण हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
- **पर्यावरणीय और आर्र्थकि लाभ:**
  - इस नीति का उद्देश्य **प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना तथा आर्र्थकि वकिसा को बढ़ावा देना है**।
  - वाहन मालकिों को वतितीय लाभ मल्लिगा तथा जनता को सड़कों, गलियों और सार्वजनकि स्थानों पर अव्यवस्थति खड़े रहने वाले लावारसि वाहनों से राहत मल्लिगी।
- **औद्योगकि योजना के रूप में कार्रयान्वयन:**
  - राज्य सरकार **इस नीति को एक औद्योगकि योजना के रूप में कर्रयान्वति करने की योजना बना रही है**, जिसमें नई औद्योगकि इकाइयों के लिये पूंजीगत सबसिडी या राज्य जीएसटी प्रतपूरति जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।
  - उद्योग एवं वाणजिय वभिग, हरियाणा राज्य औद्योगकि एवं अवसंरचना वकिसा नगिम (HSIIDC) के माध्यम से **10 वर्षीय भूमिपट्टे का मॉड्यूल वकिसति करेगा**।
- **उद्यमयिों के लिये वतितीय सहायता:**
  - सरकार उद्यम पूंजी नधि के लिये स्टारटअपस, महिला उद्यमयिों और **अनुसूचित जाति** वर्ग के उम्मीदवारों को परयोजना लागत (भूमि को छोड़कर) के **10% के बराबर 20 करोड़ रुपए तक की वतितीय सहायता प्रदान करेगी**।
  - D-श्रेणी के औद्योगकि ब्लॉकों में संपूरण स्टाम्प शुल्क प्रतपूरति की पेशकश की जाती है, जबकि B और C ब्लॉकों में 75% प्रतपूरति की जाती है।
- **उत्कृष्टता एवं कौशल वकिसा केंद्रों के लिये प्रोत्साहन:**
  - सरकार **उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिये परयोजना लागत का 50% अनुदान, अधिकितम 5 करोड़ रुपए, प्रदान करेगी**।
  - राज्य में युवाओं के कौशल वकिसा और रोजगार में योगदान देने वाले **10 उद्योगों को अतरिकित 50 लाख रुपए दिये जाएँगे**।

# राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

## परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

## संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - ④ 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

## शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - ④ CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - ④ यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

## NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002

